

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 47 : Time limit for issuing tax invoice

The invoice referred to in rule 46, in case of taxable supply of services, shall be issued within a period of thirty days from the date of supply of service:

Provided that where the supplier of services is an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, the period within which the invoice or any document in lieu thereof is to be issued shall be forty five days from the date of supply of service:

Provided further that an insurer or a banking company or a financial institution, including a non-banking financial company, or a telecom operator, or any other class of supplier of services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, making taxable supplies of services between distinct persons as specified in section 25, may issue the invoice before or at the time such supplier records the same in his books of account or before the expiry of the quarter during which the supply was made.

नियम 47 : कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा

नियम 46 में निर्दिष्ट कर बीजक, सेवाओं की कराधेय प्रदाय की दशा में, सेवा की प्रदाय की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर जारी की जाएगी :

परन्तु जहां सेवाओं का प्रदायकर्ता एक बीमाकर्ता है या बैंकिंग कंपनी है या वित्तीय संस्थान है जिसके अन्तर्गत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, वह अवधि जिसके भीतर बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज जारी किया जाना है, सेवाओं की प्रदाय की तारीख से पैंतालीस दिवस होगी :

परन्तु यह और कि बीमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी या एक वित्तीय संस्थान जिसके अन्तर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, या एक टेलीकॉम प्रचालक या सेवा की प्रदायकर्ता का कोई अन्य वर्ग, जैसा भी मामला हो, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकेगा, धारा 25 में विनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के बीच सेवाओं की कराधेय प्रदाय के लिए, बीजक प्रदायकर्ता द्वारा लेखा बही में उसे अभिलिखित करने से पहले या उस समय या ऐसे त्रिमास की समाप्ति से पूर्व जिसके दौरान प्रदाय की गई थी, जारी कर सकेगा।